

FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

कलक्टर,

मुकाम

नागौर

प्रार्थी

अप्रार्थी




चेतनराम पुत्र जसाराम जाति जाट बनाम
निवासी ग्राम सुराणा तहसील व
जिला नागौर

तहसीलदार नागौर

किस्म मुकदमा राजस्व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या

....05

सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
06.01.2020	<p>वकील प्रार्थी ने धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय तहसीलदार मुम्बई द्वारा मुकदमा संख्या 138/2019 सरकार बनाम चेतनराम, अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 के विरुद्ध यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 में पारित आदेश में प्रार्थी/अपीलान्त को सुनाये गये 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा के आदेश की क्रियान्विति आगामी पेशी दिनांक 27.01.2020 तक स्थगित की जाती है। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर, नागौर</p>	
27-1-20	<p>वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी का नोटिस बाद तामिल पुनः नोटिस प्राप्त हुआ है, जो शा. नि. है। पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 10/02/2020 को पेश हो। अप्रार्थी श्री मोर से रामपेरोकर की प्रत्यक्ष मांगीगां उप. पत्रावली मूल अपील के साथ माइन्दा दिनांक 10/02/2020 को पेश हो।</p>	
10/2/2020	<p>व कुलाय उप. पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 17-2-20 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> कलक्टर, नागौर</p>	
17-2-2020	<p>व कुलाय उपस्थित। हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील फैसल हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"> (दिनेश कुमार यादव) कलक्टर, नागौर</p>	

